रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-11042022-235034
CG-MH-E-11042022-235034

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 191] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 अप्रैल, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2022

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/78.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में,-

I. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, —

i. खंड (च) में, शब्दों "यह सुनिश्चित करे" से पहले, शब्द "बोर्ड द्वारा बताए गए तरीके से नज़र रखते हुए" जोड़े जाएंगे।

ii. खंड (न) में,

क. शब्दों और चिह्नों "को प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) / बही ऋणों (बुक डैट) के आधार पर प्रतिभूत (सिक्योर्ड) किया जाता हो" के स्थान पर शब्द "के संबंध में जमानत रखा जाता हो" आ जाएंगे;

ख. उप-खंड (i)(क) में, शब्दों "असेट कवर" के स्थान पर शब्द और चिह्न "जमानत (सिक्यूरिटी कवर)" आ जाएंगे ।

ग. उप-खंड (ii)(क) में, शब्दों और चिह्नों "एक प्रमाणपत्र पाप्त करेगा, जिसमें प्राप्य राशियों (रिसीवेबल्स) / बही ऋणों (बुक डैट) के मूल्य का उल्लेख होगा और" के स्थान पर शब्द और चिह्न "जमानत (सिक्यूरिटी कवर) के संबंध में एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, जिसमें" आ जाएंगे ।

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./18/2022-23]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, सं. सेबी/एल.ई./12/93, 29 दिसम्बर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 तत्पश्चात्:

   क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. 939 (अ), द्वारा

   ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. 16 (अ), द्वारा

   ग) 30 सितम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. 795 (अ), द्वारा

   घ) 17 फरवरी 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 135 (अ), द्वारा

   ङ) 8 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 743(अ), द्वारा

   च) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. 278 (अ), द्वारा

   छ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. 476 (अ), द्वारा

   ज) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का. आ. 1045(अ), द्वारा

   झ) 4 जुलाई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. 763 (अ), द्वारा

   ञ) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. 398(अ), द्वारा

   ट) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. 1451 (अ), द्वारा

   ठ) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

ङ) 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज़] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/03/12650, द्वारा

ढ) 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/13/21222, द्वारा

ण) 14 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/30/37715, द्वारा

त) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

थ) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन)] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

द) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

ध) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/011, द्वारा

न) 7 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/14, द्वारा

प) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

फ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021-23, द्वारा

ब) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th April, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEBENTURE TRUSTEES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/78.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, ─

I. In regulation 15, in sub-regulation (1), –

i. in clause (f), after the words "the trust deed", the words "by monitoring the same in the manner specified by the Board" shall be inserted.

ii. in clause (t),

a. after the words "securities are secured", the words and symbols "by way of receivables/ book debts" shall be replaced with the symbol "," ;

b. in sub-clause (i)(a), the words "asset cover" shall be replaced with the words "security cover";

c. in sub-clause (ii)(a), the words and symbols "giving the value of receivables/book debts" shall be replaced with the words "regarding security cover".

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./18/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on December 29, 1993 vide SEBI/LE/12/93.
2. The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993, was subsequently amended on:

a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).

b) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.16(E).

c) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 795(E).

d) February 17, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 135(E).

e) August 8, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 743(E).

f) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E).

g) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

h) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045(E).

i) July 4, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 763(E).

j) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

k) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No.1451 (E).

l) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.

m) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011 - 12/03/12650.

n) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board Of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011-12/13/21222.

o) December 14, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2011 No. LAD-NRO/GN/2011- 12/30/37715.

p) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/ 03/1089.

q) December 8, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.

r) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD - NRO/GN/2016-17/038.

s) July 13, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/011.

t) May 7, 2019 by Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD -NRO/GN/2019/14.

u) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

v) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2021/23.

w) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.11 22:20:33 +05'30'